

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर वा  
अहकाम वा  
जारी

रावतभाटा के पत्रावली करने के लिए आपली  
जाहिर नुही की। पत्रावली वास्तु केलु अफक  
अस्तुत धारा-१२८ क्रि।नं २५/११/२०२२ का  
पेश है

*[Signature]*  
S.D.O.

२५/११/२०२२

पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्रकारान उपस्थित। वकील  
जार्जी ने ज० पत्र धारा-१२८ श.ले.रे. एकर पर  
बहस की। उक्त पत्र की बहस सुनी। वकील  
जार्जी की बहस पर मन्न किया गया। वकील  
जार्जी द्वारा अस्तुत ज० पत्र धारा-१२८ व पत्रावली  
में शामिल दस्तावेजों पर गहनता से तालोज्ज  
कर मन्न किया। जार्जी का ज० पत्र धारा-१२८ का  
स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।  
ज० पत्र धारा-१२८ का निर्णय हुक्म से लिखाया  
जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया  
गया। पत्रावली फंसल गुमार होकर कम्बर से  
कम की जाकर शामिल पत्र हो

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)